research stations at the 4 locations mentioned.

सहकारी क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए विश्व बैंक की वित्तीय सहायता

957. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा राज्यवार, कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा उन गोदामों की संख्या क्या है जिनके लिए यह सहायता दी; गई;

(ख) इसमें से राज्य-वार कितनी सहायता राशि का उपयोग किया गया तथा कितने गोदामों का निर्माण किया गया; और

(ग) लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल न करने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक के साथ किये गये करार में, जिसने सहकारी समितियों द्वारा गोदाम के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है, कवर किये गये राज्यों में बनाए जाने वाले गोदामों की कुल संख्या का हवाला दिया गगा गया है और विश्व बैंक निधि का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता। विश्व बैंक की सहायता की मात्रा गोदामों की कुल लागत के 47 प्रतिशत तक सीमित है और शेष धनराशि राष्ट्रीय सहकारी प्राप्त विकास निगम, राज्य सरकारों और लाभ करने वाली सहकारी समितियों द्वारा पूरी की जानी है। गोदामों के निर्माण में वास्तविक प्रगति, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि और वह धनराशि, जिसके लिए राष्ट्रीय सहकारी बिकास निगम ने विश्व बैंक से अदायगी के लिए दावा किया है, को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) गोदामों की लागत में वृद्धि होने के कारण विश्व बैंक के परामर्श से समय-समय पर वास्तविक लक्ष्यों में संशोधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1 परियोजना, जिसमें 19,9-84 तक की अवधि शामिल है, के अंतर्गत गोदामों के निर्माण संबंधी संशोधित लक्ष्य बहुत संतोषजनक हैं। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-2 परियोजना, जिसमें 1981-87 तक की अवधि शामिल है, के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होने, पर्याप्त मात्रा में लेवी सीमेंट उपलब्ध न होने, दूरदराज के गांवों में लघु कार्य करने में ठेकेदारों की रुचि न होने और निरीक्षण कर्मचारी पर्याप्त न होने की वजह से गोदामों के निर्माण की गति में पूरी तरह से तेजी नहीं आयी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परियोजना के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए कार्यवाही कर रहा है।

विवरण

विश्व बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1 सहकारी भण्डारण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 300 लाख अमरीकी डालर (जो कि 26.65 करोड़ रुपए के बराबर है) के अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण की मंजूरी दी है। इसमें से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 31 मार्च, 1984 तक परियोजना के क्रियान्वयन पर वहन किये गये व्यय के आधार पर 25.57 करोड़ रुपए की धनराशि का दावा कर चुकी है। परियोजना की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 1984 है, जिस समय तक कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के समूचे ऋण को निकाला जाना और वितरित किया जाना है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-परियोजना-2 के संबंध में विश्व बैंक ने 1018 लाख के एस० डी० आर० एस० (जो कि लगभग 100 करोड़ रुपए के बराबर है) की मंजूरी दी है, इसमें से भण्डारण अवयव 66.29 करोड़ रुपए का है। परियोजना की अंतिम तिथि 30 जून, 1987 है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 31 मार्च, 1984 तक 24.60 करोड़ रुपए का दावा कर चुकी है। राज्यवार वास्तविक प्रगति और निर्मुक्त की गई वित्तीय धनराशि नीचे दी गई है :—

करोड़ रुपए में

राज्य	परियोजना अवधि के दौरान स्थापित किये जाने वाले गोदामों की संख्या	31-3-84 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत गोदाम		31-3-84 तक बनाए गए गोदामों की संख्या	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्यों को उपलब्ध करायी गयी सहायता	
		मंजूर किए गए गोदामों की संख्या	इस पर आयी कुल लागत		स्वीकृत	निर्युक्त की गई
1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1 (1979-84)						
1. हरियाणा	1020	1015	14.68	819	11.23	10.05
2. उत्तर प्रदेश	3093	3378	32.30	3193	24.20	23.09
3. उड़ीसा	1185	1185	10.15	720	7.65	7.18
	5298*	5586	57.13	4732	43.08	40.32
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-2 (1981-87)						
4. आन्ध्र प्रदेश	3100	1496	14.88	641	11.16	7.83
5. बिहार	149	136	7.52	72	5.64	4.99
6. हिमाचल प्रदेश	1187	420	3.78	155	2.84	1.97
7. महाराष्ट्र	1763	1064	19.10	183	14.32	10.38
8. पंजाब	1699	1198	26.28	827	19.71	16.14
	7898	4314	71.56	1878	53.67	41.31

* संशोधित लक्ष्य